बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–04/2015 3326 /खाद्य, पटना/दिनांक–24/04/15

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुक परिवारों का बैंक खाता खोलने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 17.04.2015 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी लाभुक परिवारों का बैंक खाता दो माह के अन्दर खुलवाया जाय । इसके लिए जिला पदाधिकारी से लेकर पी0डी0एस0 दुकान तक इस आशय की सूचना दिये जाने एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कर खाता खुलवाने के संबंध में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुक परिवारों का बैंक खाता खोलने एवं इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन
24/4/2015
सरकार के सचिव ।

D:\@YEAR-2015@\@SEC-06-@\VIVIDH-@.doc